संख्या-1923/नौ-5-2022-244सा/2018टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार-।।।
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, नगरीय परिवहन, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 21 मई, 2022**

विषयः- नगरीय क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा अभियान की अवधि में की जाने वाली कार्यवाही, स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-461/छः-पु0-2-2022-1100(41)/2022, दिनांक 19.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- सड़क सुरक्षा के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 18.05.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहरों में सड़क सुरक्षा एवं नागरिक सुविधाओं यथा-स्वच्छता, पेयजल, सौन्दर्यीकरण, सुरक्षित एवं सुगम नगरीय यातायात हेतु आईटीएमएस परियोजना को क्रियान्वित करने एवं अन्य संबंधित विषयों पर विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में स्वच्छता, मार्ग प्रकाश, स्वच्छ पेयजलापूर्ति, सीवरेज के साथ-साथ शहरों के सौन्दर्यीकरण पर समय-समय पर पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3- इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 04.04.222, दिनांक 10.04.2022 एवं दिनांक 17.05.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में निम्नवत् कार्यवाही एक माह के अन्दर सुनिश्चित की जायेः-

नगरीय क्षत्रों में सुगम, सुचारू एवं सुरक्षित यातायात

- नगरीय सीमा के अन्तर्गत बस, टैम्पो, टैक्सी के अवैध स्टैण्ड या ऐसे अन्य व्यवधानों को तत्काल हटाये जाने की कार्यवाही की जाये तथा स्थानीय पुलिस के माध्यम से यह सुनिश्चित कराया जाये कि टैम्पो, टैक्सी, बस चौराहों एवं सकरें स्थलों पर कदापि न खड़े हों।
- बस, टैम्पो, टैक्सी के चिन्हित/अधिकृत हाल्टिंग स्थलों पर पेयजल, प्रसाधन, रोड मार्किंग, मार्ग प्रकाश आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- यातायात में बाधक नगर की सड़कों पर स्थित सब्जी मण्डी/वेडिंग जोन को यथा सम्भव हटाकर नगरीय निकाय के रिक्त स्थानों पर स्थापित किया जाये।

- शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेण्डर्स को व्यवस्थित करने के लिए वेण्डिंग जोन का चिन्हांकन करते हुए वेण्डर्स एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ टाउन वेण्डिंग कमेटी की बैठक करते हुए उक्त चिन्हित वेण्डिंग जोनों में स्ट्रीट वेण्डर्स को व्यवस्थित/स्थापित करते हुए वहां पर मूलभूत आवश्यक सुविधाओं यथा-पेयजल, प्रसाधन, प्रकाश आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- व्यापार मण्डल एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से यह सुनिश्चित कराया जाये कि मुख्य मार्गों अथवा सड़क की पटरी आदि पर अतिक्रमण करते हुए व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन न किया जाये।
- सुगम यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाली अव्यवस्थित एवं अवैध होर्डिंग्स को तत्काल हटाया जाये।
- नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न चौराहों/ट्रैफिक प्वाइंट पर जेब्रा क्रासिंग की मार्किंगएवं सड़कों पर लेन पेंटिंग की कार्यवाही की जाये।
- चौराहों की री-इंजिनियरिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि यूटिलिटीस को सड़क के किनारे व्यवस्थित किया जाये तथा लेफ्ट टर्न हेतु बोलार्ड लगाए जायें।
- मार्गों पर मानक के विपरीत पूर्व में बने स्पीड ब्रेकर्स को हटाते हुए आवश्यकतानुसार टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर्स का निर्माण कराया जाये।
- सड़कों के गड्ढों (Potholes) को ठीक कराया जाये एवं अवैध कट बंद किये जायें।
- नगर की सड़कों पर उपयुक्त साइनेज (मार्क दर्शक बोर्ड) लगायें जायें।
- सड़कों पर पर्याप्त मार्ग प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के ऑटोमेशन की कार्यवाही की जाये। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रमुख स्थलों पर तिरंगे के रंग की लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- ट्रान्सपोर्ट नगर जैसी गतिविधियों का निमयन सुनिश्चित किया जाय।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत निर्मित ITMS की व्यवस्था को और प्रभावी बनायी जाये तथा उसे सेफ सिटी के कार्यक्रमों से जोड़ा जाये।
- नगरीय परिवहन के अन्तर्गत प्रदेश के 14 शहरों में संचालित इलेक्ट्रिक बसों के रूट्स का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि जनसामान्य को नियमित अन्तराल पर बस की सुविधा उपलब्ध रहे तथा बसों के आगमन और निर्धारित समय की सूचना ऐप पर उपलब्ध कराई जाये।
- आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उन्हें विशेष अभियान चलाकर उन्हें आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाये।
- नगरीय क्षेत्रों में स्थापित पी0ए0 सिस्टम, होर्डिंग, डिजिटल बोर्ड आदि के माध्यम से उपरोक्त का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये।

<u>स्वच्छता, पेयजलापूर्ति एवं सौन्दर्यीकरण</u>

- शासनादेश दिनांक 10.04.2022 के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सुबह 05.00 बजे 08:00 बजे तक नियमित सफाई का 60 दिवसीय विशेष अभियान संचालित है। उक्त अभियान के अच्छे परिणामों के दृष्टिगत उसे चालू रखते हुए और भी प्रभावी बनाया जाये तथा नियमित मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- नगरीय क्षेत्रों प्रतिबंधित पॉलीथीन के विरूद्ध अभियान चलाते हुए शहरों को उससे मुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- नगर विकास विभाग द्वारा निकायों की सफाई के लिए पूर्व में जारी किये गये शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

- नगर के प्रवेश स्थलों पर सॉलिड वेस्ट वेस्ट की डम्पिंग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाये तथा पूर्व से डम्प लिगेसी वेस्ट के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।
- नगरीय क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों का सौन्दर्यीकरण सुनिश्चित किया जाये।
- नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान वाटर बॉडी, तालाब आदि का अमृत सरोवर के रूप में विकास किया जाये।
- विगत वर्षों में प्रदेश के अनेक नगरीय निकायों का गठन/सीमा-विस्तार किया गया है। नवसृजित/सीमा विस्तारित क्षेत्रों में भी साफ-सफाई सहित अन्य मूलभूत नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये।
- ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत स्वच्छ एवं समुचित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित की जाये।
- आगामी वर्षा ऋतु के दृष्टिगत नालों की सफाई समय से सुनिश्चित करते हुए जल प्लावन वाले स्थलों पर जल निकासी हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

4- जनपद स्तर पर उपर्युक्त कार्यों के अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय निकायों के साथ साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी एवं नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा मण्डलवार नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो अपने संबंधित मण्डलों में उपरोक्त गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण करेंगे तथा फील्ड विजिट भी करेंगे। नगर विकास विभाग द्वारा पाक्षिक आधार पर उपर्युक्त कार्यों की प्रगति समीक्षा की जायेगी।

5- उपरोक्त के क्रम में निकायों द्वारा की जा रही कार्यवाही की दैनिक/साप्ताहिक (क्रमिक) सूचना निर्धारित प्रारूप (प्रारूप-क व ख संलग्न) पर नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की सूचना जनपद में प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) द्वारा तथा नगर निगम की सूचना संबंधित नगर आयुक्त द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को संकलित कर उपलब्ध कराई जायेगी। निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त समेकित सूचना का परीक्षण अपने स्तर से करते हुए शासन के ईमेल so.nagar.05@gmail.com पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी पर नियमित/साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध रूप से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(अनिल कुमार III)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

21.05.2022

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

प्रारूप–क

नगरीय निकायों में सड़क सुरक्षा के संबंध में उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना

दैनिक सूचना दिनांक.....

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस/टैम्पो/टैक्सी, स्टैण्ड/पार्किंग/हाल्टिंग स्थल			अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही		स्पीड ब्रेकर		हटायी गयी अवैध होर्डिंगों की संख्या	स्थापित डिजिटल बोर्डों की संख्या	सड़कों पर लगाये गये साइनेज की संख्या	बन्द किये गये अवैध कटों की संख्या	वेण्डिंग जोन				सड़क पर मानक के अनुरूप लेन पेटिंग/जेब्रा क्रॉसिंग की मार्किंग		मार्ग प्रकाश की व्यवस्था		सड़कों की गड्ढामुक्ति		पकड़े गये आवारा जानवरों की कुल संख्या	प्रतिबंधित पॉलीथीन के विरूद्ध की गई कार्यवाही		नवसृजित/विस्तारित नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएँ				निकाय में ब्लैकलिस्ट किये गये माफिया/आपराधिक प्रवृत्ति के ठेकेदारों की संख्या	प्रचार–प्रसार की गतिविधियों (बोर्ड/होर्डिंग/पी0ए0 सिस्टम/गोष्ठी) की संख्या
			हटाये गये अनधिकृत /अवैध स्टैण्ड की कुल संख्या	सड़कों के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही		सड़कों के किनारे से हटाये गये अतिक्रमण की संख्या	अतिक्रमण मुक्त कराये गये चौराहों की संख्या	मानक के विपरीत हटाये गये स्पीड ब्रेकरों की संख्या	मानक के अनुरूप लगाये टेबल टॉप की संख्या					पटरी दुकानदारों के साथ टाउन वेण्डिंग कमेटी की बैठकों की स्थिति/दिनांक	चिन्हित/विकसित वेण्डिंग जोन की संख्या	वेण्डिंग जोन में व्यवस्थित किये गये स्ट्रीट वेण्डर्स की संख्या	सड़कों पर से हटाई गई सब्जी मण्डी/अवैध वेण्डर्स जा की कुल संख्या	लम्बाई (मी0 में)	संख्या	नये/मरम्मत की गई स्ट्रीट लाइट की संख्या	ट्राई कलर की स्पाइरल एलईडी स्ट्रिप लगाये गये पोलों की संख्या	संख्या	लम्बाई (कि0मी0)		जब्त की गई मात्रा (टन)	वसूले गये जुर्माने की धनराशि	सफाई कर्मचारियों की संख्या	लगाई गई स्ट्रीट लाइट की संख्या	पेयजल व्यवस्था हेतु नये लगाये गये/मरम्मत किये गये हैण्ड/सबमरसिबल/ट्यूबवेल की संख्या	नवनिर्मित/मरम्मत किये गये सड़कों की कुल लम्बाई		
				हटाये गये वाहन	जब्त किये गये वाहन																													
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रारूप–ख

नगरीय निकायों में सड़क सुरक्षा के संबंध में उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना

साप्ताहिक सूचना (क्रमिक) दिनांक.....से दिनांक .....तक

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस/टैम्पो/टैक्सी, स्टैण्ड/पार्किंग/हाल्टिंग स्थल			अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही		स्पीड ब्रेकर		हटायी गयी अवैध होर्डिंगों की संख्या	स्थापित डिजिटल बोर्डों की संख्या	सड़कों पर लगाये गये साइनेज की संख्या	बन्द किये गये अवैध कटों की संख्या	वेण्डिंग जोन				सड़क पर मानक के अनुरूप लेन पेंटिंग/जेब्रा क्रॉसिंग की मार्किंग		मार्ग प्रकाश की व्यवस्था		सड़कों की गड्ढामुक्ति		पकड़े गये आवारा जानवरों की कुल संख्या	प्रतिबंधित पॉलीथीन के विरूद्ध की गई कार्यवाही		नवसृजित/विस्तारित नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएँ				निकाय में ब्लैकलिस्ट किये गये माफिया/आपराधिक प्रवृत्ति के ठेकेदारों की संख्या	प्रचार–प्रसार की गतिविधियों (बोर्ड/होर्डिंग/पी0ए0 सिस्टम/गोष्ठी) की संख्या
			हटाये गये अनधिकृत /अवैध स्टैण्ड की कुल संख्या	सड़कों के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही		सड़कों के किनारे से हटाये गये अतिक्रमण की संख्या	अतिक्रमण मुक्त कराये गये चौराहों की संख्या	मानक के विपरीत हटाये गये स्पीड ब्रेकरों की संख्या	मानक के अनुरूप लगाये टेबल टॉप की संख्या					पटरी दुकानदारों के साथ टाउन वेण्डिंग कमेटी की बैठकों की स्थिति/दिनांक	चिन्हित/विकसित वेण्डिंग जोन की संख्या	वेण्डिंग जोन में व्यवस्थित किये गये स्ट्रीट वेण्डर्स की संख्या	सड़कों पर से हटाई गई सब्जी मण्डी/अवैध वेण्डर्स जा की कुल संख्या	लम्बाई (मी0 में)	संख्या	नये/मरम्मत की गई स्ट्रीट लाइट की संख्या	ट्राई कलर की स्पाइरल एलईडी टिट्रप लगाये गये पोलों की संख्या	संख्या	लम्बाई (कि0मी0)		जब्त की गई मात्रा (टन)	वसूले गये जुर्माने की धनराशि	सफाई कर्मचारियों की संख्या	लगाई गई स्ट्रीट लाइट की संख्या	पेयजल व्यवस्था हेतु नये लगाये गये/मरम्मत किये गये हैण्ड/सबमरसिबल/ट्यूबवेल की संख्या	नवनिर्मित/मरम्मत किये गये सड़कों की कुल लम्बाई		
				हटाये गये वाहन	जब्त किये गये वाहन																													
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

अतिमहत्वपूर्ण/शीर्षप्राथमिकता/फैक्स/ई-मेल
संख्या- 461 /छः-पु-2-2022-1100(41)/2022

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 19 मई, 2022**

विषयः सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.05.2022 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.05.2022 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक सम्पन्न हुई थी, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्याः460/छः-पु-2-2022-1100(41)/2022, दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से निर्गत कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैंः-

गृह विभाग एवं यातायात सुरक्षा

1. प्रदेश के सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र उतारे गये, जिससे एक अच्छा संदेश गया है। किसी भी दशा में उपरोक्त धर्मस्थलों पर पुनः लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र न लगने पायें। पुनः धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर न लगने देने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी/उप जिलाधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट आदि उत्तरदायी रहेगें। इस प्रकार से हटाये गये ध्वनि विस्तारक यंत्रों को स्कूलों की प्रार्थना सभा के लिए अथवा क्षेत्र के पब्लिक एड्रेस सिस्टम में इस्तेमाल किया जाय, जिससे इनका सदुपयोग हो सके।
2. धर्म गुरूओं से निरन्तर संवाद कर प्रदेश में सार्वजनिक मार्गों/सड़को पर धार्मिक आयोजन न होने दिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक मार्गों पर आवागमन बाधित न होने पाए।
3. प्रथम चरण में दिये गये निर्देशों के सफल अनुश्रवण के पश्चात सेकन्ड वर्जन में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में विशेष अभियान के सफल क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए ।
4. वर्ष 2021 में 37729 सड़क दुर्घटनाओं में 21227 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 24897 लोग घायल हुए। मृतकों में 72% से अधिक व्यक्ति 18-45 वर्ष की आयु वर्ग के थे, जो कि

अत्यन्त ही दुःखद एवं चिन्ताजनक है। उ0प्र0 में सम्पूर्ण कोरोना काल (2 वर्ष) में कुल 23514 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में इससे कहीं अधिक मृत्यु हुई हैं। नौजवानों की मृत्यु ज्यादातर सड़कों पर ब्लैक स्पाट, ओवर स्पीडिंग एवं डग्गामार वाहनों के कारण हुई है जिन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए ।

5. सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण/पार्किंग तथा अवैध रूप से संचालित आटो/टैक्सी/बस स्टैण्ड के विरूद्ध विशेष ध्यान देते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करायी जाए। यदि सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े किये जाए तो नगर निकाय/विकास प्राधिकरणों, परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा क्रेन आदि लगाकर नियमानुसार जब्त किये जाने की कार्यवाही की जाए ।
6. फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना कोई भी वाहन यथा स्कूल बस, प्राइवेट बस, परिवहन विभाग की बसें, प्राइवेट कान्ट्रेक्ट बसें, ट्रक, दो पहिया व चार पहिया इत्यादि वाहनों का संचालन न होने पाए।
7. वाहनों की ओवर लोडिंग रोकी जाए। अवैध पार्किंग/स्टैण्ड संचालको के विरूद्ध अगले 24 घण्टे में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अभियान चलाकर गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही कर अवैध वसूली से अर्जित की गयी सम्पत्ति भी नियमानुसार जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
8. बड़े शहरों के इंट्री प्वाइंट पर वाहन न खड़े होने दिया जाए तथा सड़को के किनारे स्थित पार्किंग सुविधा रहित ढाबों पर वाहन खड़े पाये जाने पर सम्बन्धित ढाबा मालिकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
9. एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग की सड़को, नगर मार्गों एवं सभी अन्य सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध एक सघन अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
10. स्कूली छात्र/छात्राओं को यातायात के नियमो की जानकारी देने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विद्यालयों एवं संस्थानों के प्रधानाचार्यों/प्राचार्यों को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से प्रत्येक विद्यालय/संस्थान में छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों का बोध कराया जाए।
11. सूचना विभाग द्वारा यातायात नियमों के सम्बन्ध में आकर्षक हैण्डबिल तत्काल तैयार कराकर हर जनपद के स्कूलों के निकट/सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के निकट आम आदमी में वितरण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।
12. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने तथा सड़को पर स्टंट न करने हेतु जागरूक किया जाए। स्कूलों में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में डिबेट/निबन्ध लेखन/प्रभात फेरी आदि क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए। रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना प्रत्येक विद्यालय/संस्थान में करायी जाए तथा स्वैच्छिक संगठनो को भी जागरूकता अभियान से जोड़ा जाए ।

13. सूचना विभाग द्वारा यातायात नियमों के सम्बन्ध में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगायी जाए। एफ0एम0 रेडियो के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों का समुचित प्रचार-प्रसार कराया जाए। इस कार्य में गृह, परिवहन, लोक निर्माण एवं शिक्षा विभाग का सहयोग प्राप्त किया जाए ।
14. परिवहन विभाग द्वारा आनलाइन लाइसेन्स निर्गत करते समय टेस्ट ट्रैक पर टेस्ट ड्राइव कराकर ड्राइविंग क्षमता का आकलन करने के उपरान्त ही नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गत किया जाए। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में दलालों के प्रवेश पर पूर्णतया अंकुश लगाते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।
15. ओवर लोडिंग रोकने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर ट्रकों का निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोड होना सुनिश्चित किया जाए। अवैध खनिज परिवहन/ओवर लोडिंग रोकने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाए ।
16. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य समाप्त होने के पश्चात विद्यालय परिसर में अभिभावकों की बैठक कराकर सड़क सुरक्षा के नियमों के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी देते हुए जागरूक किया जाए।
17. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग ब्लैक स्पाट चिन्हित करें तथा स्कूल, बाजार, महत्वपूर्ण स्थल, स्पीड लिमिट, मोड़ इत्यादि दर्शित करते हुए पर्याप्त संख्या में साइनेज बोर्ड लगाए। सड़को के टोल प्लाजा पर ओवर स्पीड चेक की जाए तथा ब्रेथ-एनेलाइजर से जांच भी की जाए।
18. घायल व्यक्तियों को गोल्डेन आवर में ट्रामा सेन्टर तक पहुंचाने हेतु स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेन्स सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।
19. यातायात पुलिस को प्रत्येक चौराहे पर तैनात किया जाए तथा उनके सहयोग हेतु होमगार्ड एवं पी0आर0डी0 जवानों को तैनात किया जाए।
20. यूपी-112 के पी0आर0वी0 वाहनों द्वारा नियमित मोबाइल पेट्रोलिंग एवं फुट पेट्रोलिंग सुनिश्चित करायी जाए।
21. यातायात पुलिस/परिवहन/भूतत्व एवं खनिकर्म/जी0एस0टी0 तथा अन्य विभागीय कर्मियों द्वारा अवैध वसूली का प्रकरण प्रकाश में आने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए।

<u>नगरीय सड़कों का व्यवस्थापन</u>

22. नगर की सड़को के किनारे खड़े होने वाले ट्रकों एवं अवैध पार्किंग स्थलों से सड़कों को मुक्त कराया जाए।
23. अनाधिकृत टैक्सी स्टैण्ड या ऐसे अन्य व्यवधानों को त्वरित दूर कराया जाए।
24. ट्रैफिक प्वाइंट पर जेब्रा क्रासिंग की मार्किंग ऐसे जंक्शन वाली जगहों पर किसी भी प्रकार के अनाधिकृत व्यवधान या अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए।

25. स्पीड ब्रेकर्स को टेबल टॉप आकार का बनाकर सुव्यवस्थित कराया जाए ।

26. यातायात में व्यवधान बनने वाली बेतरतीब होर्डिंग्स को हटाया जाए ।

27. नगर की सड़कों पर से सब्जी मण्डी या वेडिंग जोन को यथा सम्भव हटाकर नगर विकास के खाली प्लाटों में स्थापित कराते हुए उन्हें व्यवस्थित कराया जाए ।

28. नगर की सड़कों पर नगर के उपयुक्त साइनेज (मार्ग दर्शक बोर्ड) लगाये जाए।

29. सड़कों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था, आटोमैटिक मोड में जलने वाली स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगे के रंग की लाइटिंग की व्यवस्था करायी जाए।

30. सड़कों के गड्ढों (Potholes)को ठीक कराते हुए सड़को का सुशोभन कराया जाए।

31. ट्रान्सपोर्ट नगर जैसी गतिविधियों का नियमन कराया जाए।

सफाई एवं सुन्दरता

32. प्रातः 05.00 बजे से सफाई-व्यवस्था के अच्छे परिणामों के मद्देनजर उसे चालू रखते हुए और असरदार बनाया जाए ।

33. निकाय क्षेत्रान्तर्गत समुचित सफाई के साथ-साथ उन्हें प्लास्टिक से मुक्त कराया जाए ।

34. नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ।

35. निराश्रित गोवंश एवं आवारा कुत्तों को निकाय के बाहर पहुँचाते हुए उनके पालन के लिए कान्हा उपवन या अन्य ऐसी व्यवस्थायें विकसित करायी जाए तथा इसमें यथा सम्भव जनभागीदारी (PPP) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।

36. सालिड वेस्ट के लिगेसी वेस्ट नगर के प्रवेश पर न हो इसका ध्यान रखा जाए।

37. चौराहों का सौन्दर्यीकरण कराया जाए ।

38. प्रत्येक नगर निकाय में अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाए ।

39. नगर निकायों में जुड़े नये गावों मे भी साफ-सफाई सहित अन्य नगरीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।

नगर निकायों में राजस्व की वृद्धि

40. नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय बढ़ाने की कार्ययोजना बनायी जाए। जन जागरूकता एवं राजस्व की प्राप्ति हेतु डिजिटल होर्डिंग का उपयोग किया जाए।

शहरी गरीबों के लिए कार्य

41. प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ सूडा की अन्य योजनाओं का व्यवस्थित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन कराया जाए ।

42. नये नगरीय क्षेत्र में घरौनी के प्रमाण पत्र देने में कठिनाई न आए। इसे सम्बन्धित जिलाधिकारी, नगर निगम के समन्वय से सुनिश्चित कराएं ।

43. गर्मी में पेयजल की समस्या न हो इसकी विशेष व्यवस्था की जाए।

<u>स्मार्ट सिटी की मंशा को पूर्ण करना</u>

44. नगर निकायों के भवन स्वच्छ एवं व्यवस्थित दिखें और उसमें नागरिकों को जानकारी मिल सके ऐसी व्यवस्थाएँ करायी जाए ।

45. यथायोग्य होर्डिंग तथा अन्य प्रचार साहित्य से लोगों में जन जागृति बढ़ायी जाए ।

46. माफियाओं एवं अराजक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही कर उन पर विशेष सतर्क दृष्टि रखी जाए ।

47. उपरोक्त कार्य की प्रगति 15 दिनों में इस प्रकार कार्य योजना बनाकर कराई जाएः-सर्वप्रथम जन जागरूकता एवं संवाद स्थापित कर कार्य किया जाए। निर्देशों का उल्लघन करने वालों के खिलाफ आवश्यकतानुसार सख्ती भी बरती जाए। यह सभी कार्य उत्तर प्रदेश के Sustainable Development Goals को हासिल करने में भी सहायक होंगे इसलिए सभी विभाग मिलकर इन कार्यों को आगे बढ़ाएं ।

48. सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए युद्ध स्तर पर कार्यवाही कर आगामी 05 दिन तक जागरूकता अभियान चलाने तथा इस 15 दिन के विशेष अभियान को सफलता पूर्वक सम्पादित करने के निर्देश दिये जाएं।

3- उक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः-

(1). परिवहन विभाग द्वारा वैध गाड़ियों एवं ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग का विशेष अभियान चलाया जाए।

(2). परिवहन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं, इसकी समीक्षा प्रत्येक माह विभाग द्वारा की जाएगी।

(3). उक्त समीक्षा बैठक में आटो ड्राइवरों की सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा क्षति की बात सामने आई थी, जिसके क्रम में उनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर ट्रेनिंग, कामर्शियल व्हीकल ट्रेनिंग भी कराई जाए।

(4). परिवहन विभाग रोड सेफ्टी के विषय मे गहन विश्लेषण (deep analysis) करें कि किन सड़कों पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं? उनके क्या कारण होते हैं? किस मौसम में कहां-कहां ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं? उन कारणों की विशिष्ट प्रतिक्रिया (specific response) तय की जाए।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.05.2022 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक में दिये गये उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/नगर विकास/लोक निर्माण/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम/बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/राजस्व/भूतत्व एवं खनिकर्म/ सूचना/वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों/बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा/उपशा ।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को अपने स्तर से भी कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को अपने स्तर से भी कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, सड़क सुरक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी-112, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
13. प्रभारी मीडिया सेल, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उ0प्र0 में सड़क सुरक्षा एवं नगरीय व्यवस्थापन पर दिनांक 18.05.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों का कार्यवृत्तः-

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सड़क सुरक्षा पर एक विशेष बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सभी मण्डलायुक्त, जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक (परिक्षेत्र), जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी/ क्षेत्राधिकारी एवं प्रदेश के 734 नगर निकायों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी भी उपस्थित रहें। उक्त बैठक में निम्नलिखित मा0 उप मुख्यमंत्रीगण एवं मा0 मंत्रीगण उपस्थित रहेः-

I. श्री केशव प्रसाद मौर्य, मा0 उप मुख्यमंत्री उ0प्र0।
II. श्री बृजेश पाठक, मा0 उप मुख्यमंत्री उ0प्र0।
III. श्री जितिन प्रसाद, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
IV. श्री अरविन्द कुमार शर्मा, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग एवं ऊर्जा विभाग, उ0प्र0।
V. श्रीमती गुलाब देवी, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
VI. श्री दयाशंकर सिंह, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),परिवहन विभाग, उ0प्र0।
VII. श्री संदीप सिंह, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

मा0 मंत्रीगण के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।

बैठक के प्रारम्भ में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकगण व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए सड़क दुर्घटना में होने वाले मृतकों की संख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए दुर्घटना एवं उनमें होने वाली मृत्युओं को रोकने के सम्बन्ध में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सड़क सुरक्षा पर व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया। प्रदेश में क्रियाशील समस्त 6000 पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर तत्काल प्रचार प्रारम्भ करने का अनुरोध किया। साथ-साथ ट्रैफिक की व्यवस्था हेतु होमगार्ड एवं पी0आर0डी0 के जवानों को तत्काल नियुक्त कर समस्त प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया।

उपर्युक्त के पश्चात प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं को रोकने के प्रति अत्यन्त संवेदनशील होने के लिए कहा गया तथा यह अपेक्षा की गयी कि जनपद एवं मण्डल स्तर पर ओवरलोडिंग, डग्गामारी, सड़क सुरक्षा, रोड इंजीनियरिंग आदि की खामियों को दूर करने व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए समवेत् कार्यवाही की जानी चाहिए।

गृह विभाग एवं यातायात सुरक्षा

1. मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सर्वप्रथम रामनवमी, हनुमान जयन्ती, अलविदा नमाज एवं ईद को सकुशल एवं पूर्ण भव्यता से सम्पन्न कराये जाने की बधाई दी गयी। इस दौरान प्रदेश में शान्ति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रही।उपरोक्त के साथ-साथ सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र उतारे गये,जिससे एक अच्छा संदेश गयाहै। किसी भी दशा में उपरोक्त धर्मस्थलों पर पुनः लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र न लगने पायें।

पुनः धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर न लगने देने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी/उप जिलाधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट आदि उत्तरदायी रहेगें। यह सुझाव दिया गया कि इस प्रकार से हटाये गये ध्वनि विस्तारक यंत्रों को स्कूलों की प्रार्थना सभा के लिए अथवा क्षेत्र के पब्लिक एड्रेस सिस्टम में इस्तेमाल किया जाय, जिससे इनका सदुपयोग हो सके।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/शिक्षा विभाग)

2. धर्म गुरूओं से निरन्तर संवाद कर प्रदेश में सार्वजनिक मार्गों/सड़को पर धार्मिक आयोजन न होने दिया जाए।यह भी सुनिश्चित किया जाएकि सार्वजनिक मार्गों पर आवागमन बाधित न होने पाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/परिवहन/नगर विकास)

3. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रथम चरण में दिये गये निर्देशों के सफल अनुश्रवण के पश्चात सेकन्ड वर्जन में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में विशेष अभियान के सफल क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/परिवहन/नगर विकास)

4. वर्ष 2021 में 37729 सड़क दुर्घटनाओं में 21227 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 24897 लोग घायल हुए।मृतकों में 72% से अधिक व्यक्ति 18-45 वर्ष की आयु वर्ग के थे, जो कि अत्यन्त ही दुःखदएवं चिन्ताजनक है।उ0प्र0 में सम्पूर्ण कोरोना काल (2 वर्ष) में कुल 23514 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में इससे कहीं अधिक मृत्यु हुई हैं। नौजवानों की मृत्यु ज्यादातर सड़कों पर ब्लैक स्पाट, ओवर स्पीडिंग एवं डग्गामार वाहनो के कारण हुई है जिन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/परिवहन)

5. सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण/पार्किंगतथा अवैध रूप से संचालित आटो/टैक्सी/बस स्टैण्ड के विरूद्ध विशेष ध्यान देते हुए प्रभावी प्रवर्तनकार्यवाही करायी जाए। यदि सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े किये जाए तो नगर निकाय/विकास प्राधिकरणों, परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा क्रेन आदि लगाकर नियमानुसार जब्त किये जाने की कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/ परिवहन/नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन)

6. फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना कोई भी वाहन यथा स्कूल बस,प्राइवेट बस, परिवहन विभाग की बसें, प्राइवेट कान्ट्रेक्ट बसें,ट्रक, दो पहिया व चार पहिया इत्यादि वाहनों का संचालन न होने पाए।

(कार्यवाही- परिवहन/यातायात सड़क सुरक्षा)

7. वाहनों की ओवर लोडिंग रोकी जाए। अवैध पार्किंग/ स्टैण्ड संचालको के विरूद्धअगले 24 घण्टे में प्रदेश के प्रत्येक जनपद मेंअभियान चलाकर गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करअवैध वसूली से अर्जित की गयी सम्पत्ति भीनियमानुसार जब्तकरने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/ परिवहन/नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन)

8. बड़े शहरों के इंट्री प्वाइंट पर वाहन न खड़े होने दिया जाए तथा सड़को के किनारे स्थित पार्किंग सुविधा रहित ढाबों पर वाहन खड़े पाये जाने पर सम्बन्धित ढाबा मालिकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चितकी जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/परिवहन)

9. एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग की सड़को, नगर मार्गों एवं सभी अन्य सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध एक सघन अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/ परिवहन/लो0नि0वि0/यूपीडा/उपशा)

10. स्कूली छात्र/छात्राओं कोयातायात के नियमो की जानकारी देने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विद्यालयों एवं संस्थानों के प्रधानाचार्यों/प्राचार्यों को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम सेप्रत्येक विद्यालय/संस्थान में छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों का बोध कराया जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/शिक्षा विभाग)

11. सूचना विभाग द्वारा यातायात नियमों के सम्बन्ध में आकर्षक हैण्डबिल तत्काल तैयार कराकर हर जनपद के स्कूलों के निकट/सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के निकट आम आदमी में वितरण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/सूचना विभाग)

12. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने तथा सड़को पर स्टंट न करने हेतु जागरूक किया जाए। स्कूलों में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में डिबेट/निबन्ध लेखन/प्रभात फेरी आदि क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए ।रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना प्रत्येक विद्यालय/संस्थान में करायी जाए तथा स्वैच्छिक संगठनो को भी जागरूकता अभियान से जोड़ा जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/परिवहन/शिक्षा विभाग)

13. सूचना विभाग द्वारा यातायात नियमों के सम्बन्ध में प्रमुख सार्वजनिक स्थलोंपर होर्डिंग लगायी जाए। एफ0एम0 रेडियो के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों का समुचित प्रचार-प्रसार कराया जाए।इस कार्य में गृह, परिवहन, लोक निर्माण एवं शिक्षा विभाग का सहयोग प्राप्त किया जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/यातायात सड़क सुरक्षा/सूचना/शिक्षा/परिवहन विभाग)

14. परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन लाइसेन्स निर्गत करते समय टेस्ट ट्रैक पर टेस्ट ड्राइव कराकर ड्राइविंग क्षमता का आकलन करने के उपरान्त ही नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गत किया जाए। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में दलालों के प्रवेश पर पूर्णतया अंकुश लगाते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन/परिवहन विभाग)

15. ओवर लोडिंग रोकने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर ट्रकों का निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोड होनासुनिश्चित किया जाए ।अवैध खनिज परिवहन/ओवर लोडिंग रोकने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाए।

(कार्यवाही- भूतत्व एवं खनिकर्म/परिवहन/पुलिस प्रशासन)

16. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य समाप्त होने के पश्चात विद्यालय परिसर में अभिभावकों की बैठक कराकर सड़क सुरक्षा के नियमों के सम्बन्ध में उन्हे जानकारी देते हुए जागरूक किया जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/शिक्षा विभाग)

17. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभागब्लैक स्पॉट चिन्हित करेंतथास्कूल, बाजार, महत्वपूर्ण स्थल, स्पीड लिमिट, मोड़ इत्यादि दर्शित करते हुए पर्याप्त संख्या में साइनेज बोर्ड लगाए। सड़को के टोल प्लाजा पर ओवर स्पीड चेक की जाए तथा ब्रेथ- एनेलाइजर से जांच भी की जाए।

(कार्यवाही-पुलिस प्रशासन/एन0ए0एच0आई0/उपशा/परिवहन विभाग)

18. घायल व्यक्तियों को गोल्डेन आवर में ट्रामा सेन्टर तक पहुंचाने हेतु स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेन्स सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही- चिकित्सा एवंस्वास्थ्य विभाग/परिवहन विभाग/यातायात सड़क सुरक्षा)

19. यातायात पुलिस को प्रत्येक चौराहे पर तैनात किया जाए तथा उनके सहयोग हेतु होमगार्ड एवं पी0आर0डी0 जवानों को तैनात किया जाए।

(कार्यवाही- यातायात सड़क सुरक्षा/होमगार्ड/पी0आर0डी0 विभाग)

20. यूपी 112 के पी0आर0वी0 वाहनों द्वारा नियमित मोबाइल पेट्रोलिंग एवं फुट पेट्रोलिंग सुनिश्चित करायी जाए।

(कार्यवाही- यूपी-112/ पुलिस प्रशासन)

21. यातायात पुलिस/परिवहन/ भूतत्व एवं खनिकर्म/जी0एस0टी0 तथा अन्य विभागीय कर्मियों द्वारा अवैध वसूली का प्रकरण प्रकाश में आने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही- पुलिस प्रशासन/ यातायात सड़क सुरक्षा/परिवहन विभाग/जी0एस0टी0)

नगरीय सड़कों का व्यवस्थापन

22. नगर की सड़को के किनारे खड़े होने वाले ट्रकों एवं अवैध पार्किंग स्थलों से सड़कों को मुक्त कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय/यातायात सड़क सुरक्षा)

23. अनाधिकृत टैक्सी स्टैण्ड या ऐसे अन्य व्यवधानों को त्वरित दूर कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय/यातायात सड़क सुरक्षा)

24. ट्रैफिक प्वाइंट पर जेब्रा क्रासिंग की मार्किंग ऐसे जंक्शन वाली जगहों पर किसी भी प्रकार के अनाधिकृत व्यवधान या अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

25. स्पीड ब्रेकर्स को टेबल टॉप आकार का बनाकर सुव्यवस्थित कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

26. यातायात में व्यवधान बनने वाली बेतरतीब होर्डिंग्स को हटाया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

27. नगर की सड़कों पर से सब्जी मण्डी या वेडिंग जोन को यथा सम्भव हटाकर नगर विकास के खाली प्लाटों में स्थापित कराते हुए उन्हें व्यवस्थित कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

28. नगर की सड़कों पर नगर के उपयुक्त साइनेज (मार्ग दर्शक बोर्ड) लगाये जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

29. सड़कों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था, आटोमैटिक मोड में जलने वाली स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगे के रंग की लाइटिंग की व्यवस्था करायी जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

30. सड़कों के गढ़ढ़ो (Potholes) को ठीक कराते हुए सड़को का सुशोभन कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

31. ट्रान्सपोर्ट नगर जैसी गतिविधियों का नियमन कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय/यातायात सड़क सुरक्षा/परिवहन)

सफाई एवं सुन्दरता

32. प्रातः05.00 बजे से सफाई-व्यवस्था के अच्छे परिणामों के मद्देनजर उसे चालू रखते हुए और असरदार बनाया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

33. निकाय क्षेत्रान्तर्गत समुचित सफाई के साथ-साथ उन्हें प्लास्टिक से मुक्त कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

34. नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

35. निराश्रित गोवंश एवं आवारा कुत्तों को निकाय के बाहर पहुँचाते हुएउनके पालन के लिए कान्हा उपवन या अन्य ऐसी व्यवस्थायें विकसित करायी जाए तथा इसमें यथा सम्भव जनभागीदारी (PPP) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

36. सॉलिड वेस्ट के लिगेसी वेस्ट नगर के प्रवेश पर न हो इसका ध्यान रखा जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

37. चौराहों का सौन्दर्यीकरण कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

38. प्रत्येक नगर निकाय में अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

39. नगर निकायों में जुड़े नये गॉवों मे भी साफ-सफाई सहित अन्य नगरीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

नगर निकायों में राजस्व की वृद्धि

40. नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय बढ़ाने की कार्ययोजना बनायी जाए। जन जागरूकता एवं राजस्व की प्राप्ति हेतु डिजिटल होर्डिंग का उपयोग किया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

शहरी गरीबों के लिए कार्य

41. प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ सूडा की अन्य योजनाओं का व्यवस्थित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन कराया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/सूडा/डूडा)

42. नये नगरीय क्षेत्र में घरौनी के प्रमाण पत्र देने में कठिनाई न आए । इसे सम्बन्धित जिलाधिकारी, नगर निगम के समन्वय से सुनिश्चित कराएं।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/नगर विकास/राजस्व)

43. गर्मी में पेयजल की समस्या न हो इसकी विशेष व्यवस्था की जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/सूडा/डूडा)

स्मार्ट सिटी की मंशा को पूर्ण करना

44. नगर निकायों के भवन स्वच्छ एवं व्यवस्थित दिखें और उसमें नागरिकों कोजानकारी मिल सके ऐसी व्यवस्थाएँ करायी जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/ स्थानीय निकाय)

45. यथायोग्य होर्डिंग तथा अन्य प्रचार साहित्य से लोगों में जन जागृति बढ़ायी जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास/सूचना विभाग)

46. माफियाओं एवं अराजक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही कर उन पर विशेष सतर्क दृष्टि रखी जाए।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/ पुलिस प्रशासन)

उपरोक्त कार्य की प्रगति 15 दिनों में इस प्रकार कार्य योजना बनाकर कराई जाए:- सर्वप्रथम जन जागरूकता एवं संवाद स्थापित कर कार्य किया जाए ।निर्देशों का उल्लघनकरने वालों के खिलाफ आवश्यकतानुसारसख्ती भी बरती जाए । यह सभी कार्य उत्तर प्रदेश के Sustainable Development Goals को हासिल करने में भी सहायक होंगे इसलिए सभी विभाग मिलकर इन कार्यों को आगे बढ़ाए।

बैठक के अन्त में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए युद्ध स्तर पर कार्यवाही कर आगामी 5 दिन तक जागरूकता अभियान चलानें तथा इस 15 दिन के विशेषअभियान को सफलता पूर्वक सम्पादित करने के निर्देश देते हुए बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-02
संख्याः-460 /छः-पु-2-2022-1100(41)/2022
लखनऊः दिनांक 19 मई, 2022

प्रदेश में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेन्सिंग दिनांक 18.05.2022 के कार्यवृत्त पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,गृह/ परिवहन/ नगर विकास / लोक निर्माण/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम/ बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/राजस्व/भूतत्व एवं खनिकर्म/ सूचना/ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा/उपशा।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
9. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, सड़क सुरक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
10. अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी 112, उ0प्र0, लखनऊ।
11. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
12. समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0।
13. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
15. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
16. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
17. अन्य सम्बन्धित अधिकारी।
18. गार्ड फाइल।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव